संख्या–126 /XVI/08/7(74)/07

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः 1 देहरादूनः दिनांक 17 मार्च,2008

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना योजनान्तर्गत मूल आय–व्ययक एवं प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राविधानित बजट व्यवस्था से राजकीय फल संरक्षण केन्द्रों हेतु एफ0पी0ओ0मानकों के अनुसार भवन निर्माण कार्य कराये जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–592/निर्माण/2007–08 दिनांक–10 दिसबर,2007, पत्रांक–647/निर्माण/2007–08 दिनांक–04 जनवरी,2008 तथा प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र,कोटद्वार(पौड़ी गढ़वाल) के पत्रांक–1214/फ0सं0के0/भवन निर्माण/2007–08 दिनांक–02 जनवरी,2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना योजनान्तर्गत राजकीय फल संरक्षण केन्द्र,कोटद्वार एवं राजकीय फल संरक्षण केन्द्र,काशीपुर के लिए कार्यालय भवन निर्माण हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा गठित 02 आगणनों की धनराशि रू0–46.31 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा सम्यक् परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0–42.70 लाख (रू0 बयालीस लाख सत्तर हजार मात्र) की लागत के संलग्न आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय हेतु संगत योजनान्तर्गत 24–वृहद निर्माण मद में मूल आय–व्ययक में प्राविधानित रूपये–5.00 लाख तथा प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष रूपये–31.53 लाख अर्थात् कुल रूपये–36.53 लाख (रू0 छत्तीस लाख तिरेपन हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्न निर्धारित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– भवन निर्माण प्रत्येक दशा में वर्तमान एफ0पी0ओ0 मानकों के आधार पर प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा, जिस हेतु एफ0पी0ओ0 मानकों के अनुसार डिजायन आदि तैयार कर उसे निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व तथा निर्माण पूर्ण होने उपरान्त सम्बन्धित संस्था से प्रमाणित कराया जायेगा।

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।

5– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

..2/–

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों/एफ.पी0.ओ.मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेतता से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय,तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय, तथा उपयुक्त सामग्री का हो प्रयोग में लाया जाय।

10– जी0पी0डब्लू–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत के दस प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11– मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–2047/XIV–219/2006, दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12– निर्माण में भूकम्परोधी डिजायन व तकनीकी का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, जिस हेतु निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व डिजायन/तकनीकी का समावेश करते हुए ही निर्माण किया जायेगा, तथा निर्माण से पूर्व व निर्माण पूर्ण होने पर निर्माण इकाई से इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर उसे सुरक्षित रखा जायेगा। साथ ही भवन निर्माण में उर्जा संरक्षण वास्तुकला/डिजायन/तकनीकी का भी उपयोग किया जायेगा।

13– उक्त स्वीकृत धनराशि **संलग्न विवरण के कालम–03** पर अंकित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा अथवा नियमानुसार प्रचलित व्यवस्थानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

14– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में उद्यान विभाग के अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–00–12–उत्तरांचल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/संगोष्ठी–24–वृहद निर्माण कार्य तथा प्रथम अनुपूरक अनुदानान्तर्गत उद्यान विभाग के अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–00–08–खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–507(P)/XXVII-4/2007 दिनांक–14 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 126 /XVI/08/7(74)/07 तददिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी,उधमसिंह नगर/पौड़ी/कोषाधिकारी,कोटद्वार,उत्तराखण्ड।
3–वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।

....3/–

4–जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंह नगर/पौड़ी/प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र,कोटद्वार/उद्यान विशेषज्ञ,कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।
5–अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,पौड़ी गढ़वाल/उधमसिंहनगर।
6–उप निदेशक,उद्यान,गढ़वाल मण्डल,पौडी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
7–बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,देहरादून।
8–जिलाधिकारी,पौड़ी/उधमसिंह नगर।
9–आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
10–निदेशक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सचिवालय परिसर,देहरादून।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अहमद
(अहमद अली)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–/26/XVI/08/7(74)/2007,दिनांक–/7 मार्च, 2008 का संलग्नक।

(धनराशि रूपये लाख में)

क0 सं0	फल सरंक्षण केन्द्र का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष 07–08 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
01	राजकीय फल सरंक्षण केन्द्र,कोटद्वार	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पौड़ी गढ़वाल।	एफ.पी.ओ.मानकों के अनुसार भवन निर्माण।	20.79	18.00
02	राजकीय फल सरंक्षण केन्द्र काशीपुर	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड, उधमसिंहनगर	एफ.पी.ओ.मानकों के अनुसार भवन निर्माण।	21.91	18.53
	कुल योगः–			42.70	36.53

(रू0 छत्तीस लाख तिरेपन हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।